

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र इन्फोसिटी, गांधीनगर

दिनांक: मई ०३, २०२४

विषय: हिंदी उप-समिति की बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 2024-2025 के दौरान संघ-सरकार के आधिकारिक कामकाज को हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के मद्देनजर, केंद्र में हिंदी उप-समिति अध्यक्ष ने वर्ष 2024-2025 की योजना तैयार करने हेतु 25 अप्रैल 2024 को समिति कक्ष में हिंदी उप-समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा हुई और विचार-विमर्श के बाद, हिंदी उप-समिति वर्ष 2024-2025 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव देती है:

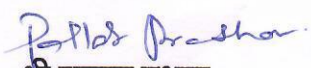
1. प्रत्येक तिमाही में "आधिकारिक कामकाज को हिंदी में करने" के संबंधित विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित की जाए।
2. प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को "आधिकारिक कामकाज को हिंदी में करने" में आ रही समस्याओं और सुझावों पर विचार विमर्श के लिए कार्यालय स्तर पर एक गोष्ठी आयोजित की जाए।
3. केंद्र में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम (प्रशिक्षण/गोष्ठी) इत्यादि की पाठ्य-पठन सामग्री, पोस्टर इत्यादि द्विभाषा में तैयार की जाए।
4. केंद्र अपने विषय क्षेत्रों से संबंधित सेमिनार हिंदी माध्यम में आयोजित करेगा।
5. केंद्र के कर्मचारियों को अपना अधिकतम आधिकारिक कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें और हिंदी पखवाड़े के उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दें।

निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन) द्वारा अनुपालन करवाया जाए:

6. राजभाषा नियम 1976 की धारा 9 के अंतर्गत केंद्र के सभी कर्मचारियों की हिंदी में प्रवीणता की सूचना एकत्र की जाए एवं धारा 10 के अंतर्गत अनुपालन करवाया जाए।
7. राजभाषा संकल्प में उल्लिखित क्षेत्र 'क' में स्थित सभी कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार किया जाए।
8. बैठकों में लिये गये निर्णयों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष हिंदी समिति को दें।
9. सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित विज्ञापन अनिवार्य रूप से हिंदी में भी प्रकाशित किए जाएंगे। जब अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य लिखा जाना चाहिए कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिंदी संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस सूचना से संबंधित लिंक भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
10. नेटवर्क विभाग के सहयोग से प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कंप्यूटर सिस्टम पर यूनिकोड स्थापित हो ताकि कंप्यूटर पर हिंदी में काम आसानी से किया जा सके।


श्री ललितकुमार त्रिकलाणी
सदस्य सचिव


डॉ. सुरभि
सदस्य


श्री पल्लव प्रधान
सदस्य


श्री गौरव प्रकाश
सदस्य


डॉ. मितेषकुमार पंड्या
अध्यक्ष

निदेशक


Director (I/C)
निदेशक (प्रभारी)